

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- 1.अपील संख्या 2277 / 2011 / जोधपुर
- 2.अपील संख्या 2278 / 2011 / जोधपुर
- 3.अपील संख्या 2279 / 2011 / जोधपुर
- 4.अपील संख्या 2280 / 2011 / जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी  
वृत्त-सी, जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स क्वालिटी बेकर्स  
एच.142, न्यू जोधपुर इण्ड. एरिया, जोधपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री एन.के.बैद  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री राजेन्द्र जैन  
सी.ए.

अपीलार्थी की ओर से


प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 28-3-2014

निर्णय

ये चारों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त सी, जोधपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 72,71,73 एवं 74/आरवैट/जेयूसी/10-11 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 29.09.2011 के विरुद्ध विरुद्ध पेश की गयी हैं। उपरोक्त विवादित चारों अपीलों में समान बिन्दु निहित है इसलिए इनका निष्पादन एक ही निर्णय से किया जाता है। निर्णय की प्रतियाँ चारों पत्रावलियों में पृथक-पृथक रूप से रखी जाये।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सूखी ब्रेड का विक्रय किया जाता है एवं अपने बिलों में सूखी ब्रेड ही दर्शाया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सूखी ब्रेड को कर मुक्त मानकर विक्रय किया गया, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की अनुसूची प्रथम की प्रविष्ट संख्या 34 के आधार पर "सूखी ब्रेड" को "टोस्ट" के रूप में विक्रय होना मानकर बेकरी प्रोडक्ट के रूप में अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत 4 प्रतिशत से कर, अनुवर्ती ब्याज तथा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियाँ निम्न तालिका के अनुसार आरोपित की गई हैं। उक्त आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए शास्तियों को अपास्त किया है।




शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.7.2011 से क्षुब्ध होकर उपरोक्त चारों अपीलें राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई हैं :-

अ.सं.	वर्ष	क.नि.आ.दि.	कर	ब्याज	शास्ति
2277 / 11	07-08	15.07.2010	2015	705	4030
2278 / 11	08-09	15.07.2010	4477	940	8954
2279 / 11	09-10	15.07.2010	17523	1577	35046
2280 / 11	अप्रैल 10 से मई 07-08	15.07.2010	2348	47	4696

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सामान्य बोलचाल की भाषा में टोस्ट कही जाने वाली वस्तु को करवंचना के मनोभाव से सूखी ब्रेड बताया है, जिससे करापवंचन किया जाना प्रमाणित होने से कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियाँ आरोपित की हैं, जिनको अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से अपास्त किया है, वह अनुचित एवं अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर उपरोक्त चारों अपीलें स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी ने बिक्रीत वस्तु को वैट अनुसूची पंचम के तहत मानकर सामान्य दर से कर योग्य मानकर अन्तर कर, ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियाँ आरोपित की है, जो अविधिक है। उन्होंने अपीलीय स्तर पर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के अतिरिक्त मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.) को उद्धरित करते हुए कथन किया कि उक्त न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट मत प्रतिपादित किया गया है कि जिन मामलों में विक्रय किये माल का बहियात में इन्द्राज किया गया है एवं किसी भी तरह की कर वंचना प्रमाणित नहीं की जाती, शास्ति आरोपणीय नहीं है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल के बिल जारी किये गये हैं, जिनका लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किया हुआ है इसलिए उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में शास्ति आरोपणीय है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्तियाँ अपास्त किये जाने के बिन्दु पर अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।


उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जहां तक अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियाँ आरोपित करने का प्रश्न है। इस संबंध में रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विक्रय



के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उद्धरिते मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.) के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता। चूंकि हस्तगत अपीलों में शास्ति को राजस्व की ओर से विवादित किया गया है एवम् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.) के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने से शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। अतः उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं है। राजस्व की ओर से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के विरुद्ध विवादित अपीले प्रस्तुत की गई हैं, लिहाजा, अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के बिन्दु पर पारित किये गये अपीलधीन आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

फलतः अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)

सदस्य